- (S) 230
II/निग०/84/रिवा/
2017/4997

न्यायालय मे श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मंडल सर्किल कोर्ट रीवा म.प्र.

रमेश प्रसाद पिता स्व. रामखेलन बढ़ई निवासी मानपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया म.प्र. ---

पुनरीक्षण कर्ता,

बनाम

म.प्र. शासन

रेस्पाडेन्ट,

अधि० श्री रवि शंकर प्र० शर्मा
द्वारा पेश/ 11.12.17

रीडर आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किल कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर उमरिया, जिला उमरिया म.प्र. प्रकरण क्रमांक- 59/स्व. निग. /2010-11, मे पारित आदेश दिनांक- 19.09.2017 जिसके तहत बिना सूचना सम्मन तामील किए एक पक्षीय आदेश दिया गया।
अन्तरगत धारा 50 म.प्र.भू.राज.संहिता,

मान्यवर,

आवेदक/निगरानी कर्ता बिनम्र निवेदन करता है-

1. यह कि ग्राम बरबसपुर स्थित आराजी ख.नं. 131/1, रकबा 0.405 हे का व्यवस्थापन बिधिवत किया गया था किन्तु भ्रष्ट तरीके से रियोजन कर्ता के पिता का गलत नाम रामसेवक लेख बिना कारण बताओ नोटिस सूचना को तामील किए जाने का गलत आधार गढ़कर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जिसमे भी आवेदक के पिता का नाम रामसेवक लेख किया जाकर आदेश पारित किया गया है। जो कि गलत बल्दियत लेख होने से आदेश आवेदक पर क्रियान्यावित नही किया जा सकता किन्तु पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.10.2017 को व्यवस्थापन निरस्त किए जाने की जानकारी दिया जिस पर से दिनांक-13.10.2017 को आवेदक अधिनस्त न्यायालय प्रकरण का पता लगाया एवं नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से दिनाक-1.12.2017 को नकल मिलने पर ज्ञात हुआ कि कारण बताओ सूचना को किसी प्रकार से कोई तामील न करते हुए गलत पिता का नाम रामसेवक लेख किया जाकर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जबकि आवेदक सिविल न्यायालय उमरिया मे वकालत

2

रमेश प्रसाद बढ़ई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4997 जिला–उमरिया

रमेश प्रसाद बढ़ई/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
5.8.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 59/स्व0 निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	